पत्रांक-भवन/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-06/07- 18047(ए) /भ0नि0वि0

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

==========

प्रेषक,

किशोर रंजन सिन्हा,
अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग ।
सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग ।
सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग ।

पटना, दिनांक- 28.12.07

विषय:- निविदा से संबंधित विशेष शर्त्तो के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में नये प्रावैधिक प्रावधानों तथा संशोधित बिहार लोक निर्माण कार्य संहिता के आलोक में निम्नांकित अतिरिक्त प्रावधान/संशोधन किये जा रहे हैं :-

1. 40.00 लाख रू0 से उपर के सभी निविदा में दो बीड सिस्टम लागू होगा ।
2. तकनीकी बीड का मूल्यांकन संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र जो निविदा कागजात के साथ संलग्न रहेगा के आधार पर किया जायेगा । (प्रपत्र संलग्न)
3. तकनीकी बीड में उत्तीर्ण होने के लिए 40.00 लाख रू0 से 2.00करोड रू0 तक के कार्य के लिए कम से कम 50अंक और 2.00करोड़ रू0 से अधिक के लिए 60 अंक प्राप्त करना होगा ।
4. भवन के लागत मूल्य के आधार पर कार्य समाप्ति पर कार्य समाप्ति की अवधि निम्न प्रकार होगी :-
   1. 40.00लाख रू0 तक के भवनों के लिए - 6माह
   2. 40.00लाख रू0 से उपर एवं 70.00लाख रू0 तक के भवनों के लिए 9माह
   3. 70.00लाख रू0 से उपर एवं 2.00करोड़ रू0 तक के भवनों के लिए-12माह

4. 2.00करोड़ रू0 से उपर एवं 3.5करोड़ रू0 तक के भवनों के लिए-18माह

5. यदि इकरारनामें के बाद निरूपण में संशोधन के फलस्वरूप छड़ों के व्यास में परिवर्तन हो जाता है और उन छड़ों का दर सीड्युल ऑफ रेट में है तो इकरारनामें में दिए गए मात्रा तक भुगतान किया जा सकता है ।

6. निविदा के साथ संवेदकों के द्वारा संलग्न किये जानेवाले अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों के सभी पन्नों पर संबंधित संवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिये ।

7. अग्रधन का स्पष्ट सत्यापन प्रतिवेदन संलग्न करना आवश्यक होगा जिस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता का मंतव्य अंकित रहेगा ।

8. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड मूल प्रकृति के लिये 3 वर्ष और विशेष मरम्मति के लिए एक वर्ष का होगा ।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होने पर यह डिफेक्ट लाईबिलिटी सरकार द्वारा ही नहीं लागू करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

उपर्युक्त सभी कंडिकायें तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे । सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के साथ इन शर्त्तों को संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे ।

अनु० प्रपत्र ।

विश्वासभाजन

ह० 27/11/07

(के0 आर0 सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0 नि0वि0, पटना

ज्ञापांक:- 13047(म) 2 पटना, दिनांक:- 28.12.07

प्रतिलिपि:-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

ह०

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

28/12